

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक एफ.3(ख)(स्थाईकरण)/अलेसे-II/ 23974-87 दिनांक :- 10.11.2015

आदेश संख्या 128/2015-16

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित परिवीक्षाधीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (सीधी भर्ती 2011 बैच) जिन्हें दो वर्ष के परिवीक्षाकाल के लिए स्थाई पारिश्रमिक पर नियुक्ति दी गई थी, को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 34 के अन्तर्गत दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं लेखाकार आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 08 में अंकित तिथि से स्थाई किया जाता है।

परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इन्हें पे बेण्ड 9300-34800 में मूल वेतन 14430/- (10230+4200ग्रेड पे) एवं तदनुसार भत्ते देय होंगे।

क्र.सं.	मेरिट नम्बर	लिंग नम्बर	नाम (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II)	जन्म तिथि	सहा. लेखाधिकारी-II पद पर कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षा काल पूर्ण करने की तिथि	स्थाईकरण तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	118	9423	सुनील कुमार घोडेला	22.07.1978	03.10.2013	02.10.2015	03.10.2015
2	198	9498	संजय शर्मा	25.04.1972	08.02.2013	07.02.2015	08.02.2015
3	319	9606	सूर्य प्रकाश आर्य	15.10.1981	29.08.2013	30.08.2015	31.08.2015
4	391 बी	9748	मंगलराम मीणा	15.08.1977	26.08.2013	25.08.2015	26.08.2015

सहा.लेखाधिकारी ग्रेड-II पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कार्मिकों जिनके द्वारा परिवीक्षा अवधि में पूर्व पद का वेतन प्राप्त किया जा रहा है, का परिवीक्षाकाल समाप्ति पर वेतन निर्धारण वित्त विभाग के नोटिफिकेशन एफ.1(2)एफडी/रुल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 के बिन्दु 03 (iv) के निर्देशानुसार राजस्थान सेवानियम के नियम 26 के अन्तर्गत किया जावेगा।

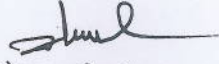
उक्त आदेश क.लेखाकार एवं लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा 2011 के लम्बित विभिन्न न्यायिक प्रकरणों के निर्णय के अध्ययन में होंगे।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.3(ख)(स्थाईकरण)/अलेसे-II/ 23974-87 दिनांक :- 10.11.2015

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचि, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष
3. कोषाधिकारी
4. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्री सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


(कै.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)